

2 मार्च 2025 की जीबीएम की कार्यवाही

आरडब्ल्यूए के सदस्यों की एक आम बैठक 2 मार्च 2025 को पार्श्वनाथ पैराडाइज, मोहन नगर गाजियाबाद (यू.पी.) के मंदिर परिसर में आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष के स्वागत भाषण से हुई। उनके स्वागत भाषण के बाद आरडब्ल्यूए के कोषाध्यक्ष ने सभी सदस्यों को निवासियों से रखरखाव शुल्क के संग्रह की वित्तीय स्थिति और सोसायटी में विभिन्न विकास कार्यों पर आरडब्ल्यूए द्वारा किए गए व्यय के बारे में जानकारी दी। सदस्यों ने आरडब्ल्यूए की वर्तमान वित्तीय स्थिति की सराहना की। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

- (1) बैठक में बकाएदारों के नामों की घोषणा की गई।
- (2) सभी को बताया गया कि 37 बकाएदारों के नाम लंबित रखरखाव शुल्क, जुर्माना और कानूनी खर्च की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिवक्ता को भेजे गए हैं।
- (3) सदस्यों को यह भी बताया गया कि कुल मुकदमे की राशि का 10% न्यायालय शुल्क के रूप में न्यायालय में जमा करना होगा।
- (4) सदस्यों को एसटीपी विकास समिति के गठन की भी जानकारी दी गई, जिसके लिए स्वयंसेवकों के नाम आमंत्रित किए गए।
- (5) सभी को यह भी बताया गया कि आरडब्ल्यूए बारिश के दौरान सोसायटी में प्रवेश करने वाले वर्षा जल की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है।
- (6) ब्लॉक ए के कुछ निवासियों ने मानव रहित गेट नंबर 2 और 3 के खिलाफ आवाज उठाई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने उन्हें सोसायटी में अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया।

जीबीएम के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उपरोक्त मुद्दों को मंजूरी दी।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

